न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2023/369)

1. बिदामी देवी पत्नी स्व0 श्री गिरधारी
2. शंकर पुत्र स्व0 श्री गिरधारी
3. सुनील पुत्र स्व0 श्री गिरधारी
4. रेखा पुत्री स्व0 श्री गिरधारी
5. ज्योति पुत्री स्व0 श्री गिरधारी
6. कैलाश पुत्र प्रभात
7. बाबूलाल पुत्र भगवान सहाय
8. रमेश पुत्र भगवान सहाय
9. आशा पुत्री भगवान सहाय
10. उषा पुत्री भगवान सहाय
11. श्रीमती मोता देवी पत्नी भगवान सहाय
    समस्त जाति ब्राह्मण निवासी गोडो की ढाणी, टोडी स्टेण्ड तिरूपति निलय के पास नींदड सीकर रोड तहसील आमेर जिला जयपुर ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. कालूराम पुत्र स्व0 हनुमान
2. मोहन लाल पुत्र स्व0 हनुमान (फौत)
   2/1 केदार चन्द्र पुत्र स्व0 श्री मोहन लाल
   2/2. ज्ञानचन्द पुत्र स्व0 श्री मोहन लाल
3. पुष्कर पुत्र स्व0 श्री हनुमान
4. सुरेश पुत्र स्व0 श्री हनुमान
5. संतोष पुत्र स्व0 श्री हनुमान
6. गोपाल पुत्र काना (फौत)
   6/1 शांति देवी पत्नी गोपाल
   6/2 मालीराम शर्मा पुत्र स्वव गोपाल
   6/3 हरीशंकर पुत्र स्व0 गोपाल
   6/4 ओमप्रकाश पुत्र स्वव गोपाल
   6/5. महावीर पुत्र स्वव गोपाल
   6/6 मधु पुत्री स्व० गोपाल
   6/7. सुमित्रा पुत्री स्व० गोपाल
   6/8 उषा पुत्री स्व० गोपाल
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी गोडो की ढाणी, टोडी स्टेण्ड, तिरूपति निलय के पास, वार्ड नम्बर 1, सीकर रोड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।
8. राघव कृपा रियल एस्टेट प्राईवेट लि० जरिये निर्देशक रामानन्द मोदी पुत्र श्री रामावतार मोदी, जाति महाजन निवासी एफ–266, रोड नम्बर 13, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीकर रोड, जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर दिनांक 14.07.2023 मुकदमा संख्या 16/2015 उनवानी गिरधारी बनाम कालूराम ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. श्री घीसालाल कुमावत, वकील अपीलान्ट
2. श्री संजय शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से।
3. श्री हेमन्त कुमार गुप्ता, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1 से 2/2 एवं 3 से 5 की ओर से।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट नं. 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–27.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर के निर्णय दिनांक 14.07.2023के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक से हाल नक्शे में गलत माप बताने के कारण प्रार्थीगण की आराजी का लगभग 0.14 हैक्टे. रकबा कम हो गया। भू–प्रबन्ध विभागने प्रार्थीगण की लगभग 0.14 हैक्टे. रकबा नक्शे में कम कर रेस्पो0 संख्या 8 के हाल खसरा नंबर 2552, 2557, 2558 के नक्शे में बढ़ा दिया है तथा जमाबंदी में नक्शे से कम दर्ज किया गया है। इस कारण आराजी हाल ख. नं. 2532 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.नं. 2551 रकबा 0.09 हैक्टे., ख.नं. 2553 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम नींदड़, तहसील आमेर जिला जयपुर के हाल नक्शा सीट में साबिक खसरा नंबर 992, 993, 1003 के नक्शे अनुसार शुद्धिकरण व करेक्शन हेतु निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2023 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर दिनांक 14.07.2023 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी बिदामी देवी पत्नि स्व0 श्री गिरधारी वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 14.07.23 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया किअपीलान्ट प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 992, 993, 1003 कुल किता 3 कुल रकबा 24 बिस्वा वाके ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर से बने हाल खसरा नम्बर 2532 रकबा 0.17 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2551 रकबा 0.09 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2553 रकबा 0.05 हैक्टेयर के नक्शे को साबिक नक्शानुसार दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली वास्ते तामिल नियत होने के बावजूद एकतरफा बहस सुनकर भू–प्रबंध के दौराने राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि का सुधार धारा 136 में नही आना मानकर अनुचित व अवैध रूप से प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर ही निर्णय अधीन अपील दिनांक 14/7/2023 के द्वारा खारिज कर दिया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अधीन अपील सही तथ्यों रिकार्ड एवं न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं।अधिनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थों में समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी एवं कॉन्ट्रेरी टू

राजस्व आयुक्त
जयपुर

लॉ आदेश अधीन अपील पारित कर भंयकर कानूनी भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार महोदय ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। जिसमें तहसीलदार ने उक्त खसरा नम्बर के नक्शा व जमाबन्दी में कमी बेशी का अन्तर की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। जिसमें अप्रार्थी संख्या 8 के नक्शे में जमाबन्दी के रकबे से लगभग 0.14 हैक्टेयर भूमि अधिक पाई गई व प्रार्थीगण अपीलान्ट की भूमि के नक्शे में जमाबन्दी में दर्ज रकबे से भूमि कम पाई गई हैं। जिस पर ध्यान न देकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर खारिज कर कानूनी गलती की हैं। तहसीलदार महोदय ने साबिक से हाल के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसके अनुसार हाल नक्शो में साबिक नक्शे के अनुसार दुरुस्ती किया जाना वांछनीय था । अधिनस्थ न्यायालय अपने निर्णय में स्वयं ने अंकित किया है कि दोनो के खसरा नम्बर में रकबा कमी बेशी हैं। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निर्णय अधीन अपील द्वारा अनुचित व अवैध रूप से खारिज कर दिया है जो निर्णय प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय हैं। धारा 136 राज0 लै०रे0 एक्ट के तहत नक्शे में दुरुस्ती करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त हैं। यह सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल में बहुमत से प्रतिपादित किया है, तथा अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने नक्शा दुरुस्ती के कई प्रकरण स्वीकार कर नक्शा दुरुस्ती के आदेश पारित किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 8 के द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी प्रार्थना पत्र में रिलीफ देने हेतु व अप्रार्थीगण द्वारा बढी हुई भूमि की पत्थरगढी करवाकर अवैध रूप से अधिक भूमि पर कब्जा करवाने की नियत से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 16/2015 उनवानी गिरधारी बनाम कालूराम में पारित आदेश दिनांक 14/7/2023 निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया किप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 2557, 2558, 2552 जो वाके ग्राम नींदड़, भू. अभिलेख क्षेत्र हरमाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिनके वर्तमान में प्रार्थी के अलावा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार गंगादेवी बेवा झूथा, सरोज बेवा फूलचन्द स्वयं बहैसियत प्राकृतिक संरक्षिका मनीष, बलराम, विकास, कु0 रेखा पि0 फूलचन्द हि. 1/4 हरिनारायण, बाबूलाल, श्रवण, कन्हैया उर्फ आलोक पुत्रान भीखाराम उर्फ ओंकार, हिस्सा 5/12, जाति कुमावत सा. देह के नाम दर्ज है व अमल है जिनको प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थी द्वारा केवल खसरा नंबर 2552 के बारे में लिखा है जो खसरा प्लान में थोड़ा रकबे से बड़ा है जबकि अन्य खसरा नंबर 2564, 2577, 2578, 2565, 2566, 2567, 2482, 2483, 2485, 2486, 2492, 2491, 2490 जो वास्तविक रकबे से खसरा प्लान में कम है। इनके बारे में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई वर्णन नहीं किया और ना ही इन खसरों के रिकॉर्डेड खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या एवं मनगढंत एवं केवल मात्र नाजायत रूप से प्रार्थी को परेशान करने के उद्धेश्य से अपने शपथ पत्र भी समर्थन में देते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 एवं 340 के तहत भी कार्यवाही होनी चाहिए। प्रार्थीगण खसरा नंबर 2532, 2551, 2553, 2555, 2554, 2547, 2548, 2549, 2550 के प्रार्थीगण व अन्य व्यक्ति रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्होंने जानबूझकर अपने खातेदारी के अन्य खसरा नम्बरान का कोई हवाला प्रार्थना पत्र में नहीं दिया गया और ना ही अपने सम्पूर्ण खसरों के कुल क्षेत्रफल व नक्शा ट्रेस के अनुसार कुल क्षेत्रफल एवं मौके के रकबे का कहीं भी कोई हवाला नहीं दिया गया है। ख.नं. 2532 एवं 2533 के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी के संबंध में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह वर्णित किया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे को छोटा कर दिया गया है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को धारा 136 सपठित धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि

राजस्व आयुक्त
जयपुर

प्रार्थी को भू–प्रबन्ध विभाग के संबंध में कोई आपत्ति है तो प्रार्थी नियमित वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके चाराजाई कर सकता है। भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिपिकीय त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी की चाही दुरूस्ती धारा 136 की परिधि से बाहर होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्म्त् है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद वाके ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी हाल ख. नं. 2532 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.नं. 2551 रकबा 0.09 हैक्टे., ख.नं. 2553 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टे. के हाल नक्शा सीट में साबिक खसरा नंबर 992, 993, 1003 से भिनन्ता को लेकर है। जिसे दुरूस्त करने के संबंध में अपीलांट बिदामी देवी पत्नी स्व0 श्री गिरधारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 की परिधि से बाहर होने के कारण खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध मे हमारा विनम्र मत है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी नक्शे के अनुसार रकबा कमी बेशी होना अंकित किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खसरों की नक्शे के अनुसार रकबा बरारी करने पर (–)(+) अन्तर आने के कारण लिपिकीय त्रुटि नहीं होने से विधिवत् ही चाही गई दुरूस्ती धारा 136 की परिधि से बाहर मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् राजस्व रिकॉर्ड की लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। अगर किसी पक्षकार का रकबा कम या ज्यादा हो रहा है तो वह सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के तहत् चाराजोही कर सकते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर उचित एवं विधिसम्यक है इसमे किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि–अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर दिनांक 14.07.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ० आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।